**उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण**

श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम) बेरी, झज्जर एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है जो कि हिंदुओं की बहुत बड़ी संख्या के लिए अत्यन्त पूज्यनीय है जो श्री माता भीमेश्वरी देवी की पूजा करने से पूर्व तथा बाद में सभी पारिवारिक समारोह (कार्यक्रम) करते हैं। उनके लिए यह एक सिद्ध मंदिर है। श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम) बेरी, झज्जर तथा तीर्थ-मंदिर से संलग्न या आनुषंगिक भूमियों तथा भवनों सहित उसके दान का बेहतर प्रबन्धन करने, प्रशासन तथा शासन उपलब्ध कराने तथा दर्शन करने वाले भक्तों को बेहतर सुख-सुविधाएं व सहुलियतें एवं शिष्यों, तीर्थयात्रियों व उपासकों का स्वास्थ्य सुरक्षित करने, सुरक्षा एवं सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम) बेरी, झज्जर पूजास्थल विधेयक, 2022 अधिनियमित करने का निर्णय किया गया है। अतः विधेयक।

 ( डॉ कमल गुप्ता )

 शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

**लोक कार्य से सम्बन्धित प्रस्ताव का नोटिस**

 मैं हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम) बेरी, झज्जर पूजास्थल विधेयक, 2022 के बारे में निम्नलिखित प्रस्तावों का नोटिस देता हूँ:-

(क) हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम) बेरी, झज्जर पूजास्थल विधेयक, 2022 को प्रस्तुत किया जाये।

 (ख) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

 (ग) विधेयक पारित किया जाये।

 ( डॉ कमल गुप्ता )

 शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

**प्रत्यायुक्त विधान के बारे में ज्ञापन**

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 39 द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियां दी गई है। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन एक सामान्य स्वरूप का है। अतः हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन संलग्न है।

 ( डॉ कमल गुप्ता )

 शहरी स्थानीय निकाय मंत्री।